54

44

[illegible]

[illegible]

क्रमांक प.10([illegible])/2/2004 दिनांक [illegible]

जिला कलक्टर,
[illegible], बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, राजसमंद, सीकर, टोंक एवं उदयपुर।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत विश्व बैंक परियोजना के तहत सड़क निर्माण।

महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत राज्य [illegible] विश्व बैंक परियोजना के तहत क्रियान्वित किया जाना है। इस योजना में [illegible] कोई प्रावधान नहीं है। इन सड़कों के निर्माण हेतु कई स्थानों पर [illegible] भूमि की आवश्यकता [illegible] ग्राम वासियों को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा इस योजना के लिए दान करना होगा।

उपरोक्त सम्बन्ध में तहसीलदार एवं नीचे स्तर के कार्मिकों की ओर से निम्न सहयोग अपेक्षित है:-

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को सड़क के प्रस्तावित मार्ग का खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(खतौनी) की सत्यापित नकल उपलब्ध कराना,
2. ट्रांसेक्ट वाक (सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों, समाज के लोगों एवं प्रभावित व्यक्तियों के साथ सड़क निर्माण से सम्बन्धित प्रभावों एवं समस्याओं की जानकारी का आदान प्रदान करने हेतु प्रस्तावित मार्ग पर पैदल फेरी) के दौरान आई.एल.आर. व पटवारी उपस्थित रहकर सहयोग करना।
3. जिन जमीन मालिकों की जमीन उक्त प्रकार सड़क निर्माण से प्रभावित हो उन्हें जमीन दान करने के लिए प्रोत्साहित करने में पंचायत प्रतिनिधियों एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं को समझौता पत्र तैयार करने में सहायता करना व सड़क निर्माण हेतु जमीन दान करने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन कराना।

कृपया आप अपने स्तर पर उपरोक्त सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का [illegible] करें।

संलग्न:उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(आर.एस. [illegible])

उप शासन सचिव

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

क्र: 5135-60 दिनांक:- 8/6/04

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ/आवश्यक [illegible]:-

उपखण्ड अधिकारी समस्त जयपुर द/प्र/ आमेर/ [illegible]/ बस्सी/ फागी/ [illegible]

तहसीलदार समस्त जयपुर (सांगानेर), [illegible] सांभरलेक/ [illegible]
बस्सी/फागी/ [illegible] चौमूं/ [illegible]/विराटनगर
चाकसू (दूदू) [illegible] कोटपूतली
[illegible]
[illegible]
[illegible]